

न्याय आपके द्वार अभियान - 2018
लोक अदालत

23.5.18 मूल वाद निश्चित हो चुका है। अतः पत्राचार
केवल शुद्ध हो कर न्यायाधीश के पास हो
कर पारित किया जाये।

पाठासन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट